



XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1130-दो/08

जिला-भिण्ड

दिनांक तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-3-15	<p>इस प्रकरण में दिनांक 7-2-13 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है ।</p> <p>यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकॉर्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



C.F. 23151

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक-

/2008 निगरानी - 1130-II/08

पहारसिंह पुत्र नाहर सिंह मिर्छा  
निवासी आलोरी ग्राम तहसील गोंद  
जिला भिण्ड {मध्यप्रदेश}

.....प्रार्थी

विरुद्ध

- 1- भवान सिंह पुत्र रामगोपाल मिर्छा  
निवासी ग्राम आलोरी, तहसील गोंद  
जिला भिण्ड {मध्यप्रदेश}
- 2- मध्यप्रदेश शासन

.....प्रतिप्रार्थीगण

O.P. Sharma  
18.9.2008

ओ.पी. शर्मा - एडवोकेट  
18.9.08 को प्रस्तुत।  
दिनांक 5/12/2007 पारित प्रकरण क्रमांक-32/2001-2002 निगरानी  
अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता ।

श्रीमान्,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत

है :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध, परवर्ष साक्ष्य के विपरीत तथा अनुचित होने से निरसन योग्य है।
- 2- यह कि, विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा दिनांक 2-10-84 से करीब 10 वर्ष पूर्व का था और प्रार्थी भूमिहीन कृषि श्रमिक था तथा दखन रहित भूमि अधिनियम 1984 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रार्थी उक्त भूमि का भूमिस्वामी माना गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्षीगणों के कथनों, पटवारी कथन एवम् अभिलेख से सूक्ष्म जांच